

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल  
धारा-4(1)(b)(iv)

**कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक**

**(Norms set by the Academy for the discharge of its functions)**

क.	कृत्य	मानक
1	प्रशिक्षण कलेन्डर का निर्धारण	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कलेन्डर निर्धारण की प्रक्रिया में शासन के विभागों, संगठनों, संस्थाओं से परामर्श लिया जायेगा. व माँग पर आधारित प्रशिक्षण कलेन्डर क्रियान्वित किया जायेगा.</li> <li>➤ निर्धारित एवं प्रकाशित प्रशिक्षण कलेन्डर की प्रति समस्त विभागों/संस्थाओं को मेलिंग लिस्ट के अनुसार मार्च के अन्तिम सप्ताह तक प्रेषित कर दी जायेगी.</li> </ul>
2	प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अकादमिक परिषद/स्टाफ मीटिंग में अनुमोदन के उपरान्त ही किया जायेगा.</li> <li>➤ प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि की कार्यवाही 6-8 सप्ताह पूर्व कार्यक्रम निदेशक द्वारा आरंभ कर दी जायेगी.</li> <li>➤ प्रतिभागियों को कार्यक्रम व अकादमी पहुँचने की सूचना सहित स्वागत पत्र प्रेषित किया जायेगा ताकि मानक संख्या में योगदान सुनिश्चित हो सके.</li> <li>➤ प्रतिभागियों व अतिथि वार्ताकारों का पंजीकरण स्वागत कक्ष में किया जायेगा व योगदान के 5 मिनट के भीतर आवासीय कक्ष आवंटित कर दिया जायेगा.</li> <li>➤ कार्यक्रम निदेशक द्वारा कार्यक्रम के आयोजन व व्यवस्थाओं की पूर्व सूचना पर्याप्त समय पूर्व प्रसारित कर दी जायेगी.</li> <li>➤ प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की हस्तपुस्तिका, पाइय सामग्री तैयार कर प्रतिभागियों को वितरित की जायेगी.</li> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चा कक्ष व परिसर में प्रशिक्षण व प्रवास के लिए समुचित वातावरण व सुविधाएं स्थापित की जायेगी.</li> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम में योग्य व अनुभवी संकाय/अतिथि वार्ताकारों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा.</li> <li>➤ प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दैनिक व कार्यक्रम के अन्त में निर्धारित प्रपत्र पर फीडबैक लिया जायेगा.</li> <li>➤ प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत प्रशिक्षण रिपोर्ट की समाप्ति के 15 दिन के भीतर कार्यक्रम निदेशक द्वारा तैयार की जायेगी व इसकी प्रति प्रायोजक संस्था/विभाग व पुस्तकालय व प्रलेखन केन्द्र को भविष्य में संदर्भ व अभिलेख तथा मूल्यांकन हेतु प्रेषित की</li> </ul>

## अध्याय-चतुर्थ

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल  
धारा-4(1)(b)(iv)

		<p>जायेगी.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रतिभागी अधिकारियों को प्रतिभागियों की सूची, समूह चित्र व प्रमाण पत्र दिया जायेगा.</li> <li>➤ प्रशिक्षार्थियों को प्रवास अवधि में पुस्तकालय, कम्प्यूटर इन्टरनेट, क्रीड़ा, स्थानीय यातायात, मैस सुविधा उपलब्ध होगी.</li> </ul>
3	चर्चा कक्ष से संबंधित व्यवस्थाएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन से 1 दिन पूर्व चर्चा कक्ष तैयार कर लिया जायेगा.</li> <li>➤ चर्चा कक्ष में बैठक व्यवस्था व उपकरण कार्यक्रम निदेशक के निर्देशानुसार व्यवस्थित किये जायेगें.</li> <li>➤ यथासम्भव प्रशिक्षार्थी अधिकारियों व वार्ताकारों की नाम पट्टिकायें चर्चा कक्ष में लगायी जायेगी.</li> <li>➤ कार्यक्रम स्थल/कक्ष के ए-4 साईज में बैनर विभिन्न स्थलों पर प्रशिक्षार्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किये जायेगें.</li> </ul>
4	पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षण में योगदान करने पर प्रतिभागी पुस्तकालय सुविधा के उपयोग के पात्र होंगे व सीमित अवधि के प्रशिक्षार्थियों को 2 पुस्तकें तथा आधारभूत व व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को 4 पुस्तकें अधिकतम 15 दिन के लिए निर्गत की जायेगी.</li> </ul>
5	कम्प्यूटर लैब	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कम्प्यूटर प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षार्थियों को कम्प्यूटर पर अभ्यास सुनिश्चित किया जायेगा.</li> <li>➤ एक कम्प्यूटर पर दो प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.</li> </ul>
6	मैस भोजनालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रशिक्षार्थी अधिकारियों की संख्या व रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी.</li> <li>➤ भोजन तैयार करने में उच्च स्तर की सफाई व गुणवत्ता रखी जायेगी.</li> <li>➤ निर्धारित समय के अनुसार ही बैड टी, नाश्ता, मध्याह्न भोजन, रात्रि भोजन की व्यवस्था की जायेगी.</li> <li>➤ टूटी व खराब काकरी का उपयोग भोजन हेतु नहीं किया जायेगा.</li> <li>➤ प्रशिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान पैकड लंच की व्यवस्था की जायेगी.</li> <li>➤ कार्यक्रम की समाप्ति पर आवश्यकतानुसार पैकड भोजन व पानी दिया जायेगा.</li> <li>➤ मैस का सम्पूर्ण लेखा-जोखा कम्प्यूटर में रखा जायेगा.</li> </ul>

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल  
धारा-4(1)(b)(iv)

7	छात्रावास	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ छात्रावास कक्षों को प्रतिभागी अधिकारियों के योगदान से पूर्व तैयार कर दिया जायेगा.</li> <li>➤ प्रत्येक कक्ष की सफाई प्रतिदिन प्रातः 10-12 के मध्य की जायेगी.</li> <li>➤ छात्रावास बिस्तर की चादरें प्रत्येक 3 दिन में बदली जायेगी.</li> <li>➤ प्रत्येक कक्ष में साबुन व तौलिया दिया जायेगा.</li> <li>➤ प्रत्येक कक्ष में मोमबत्ती व माचिस उपलब्ध होगी.</li> <li>➤ विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर 5 मिनट के अन्दर छात्रावास में विद्युत आपूर्ति जनरेटर से दी जायेगी.</li> <li>➤ प्रत्येक कक्ष में कम्प्यूटर उपलब्ध होगा.</li> <li>➤ आवश्यकतानुसार छात्रावास की पेन्ट्री से चाय की व्यवस्था की जायेगी.</li> <li>➤ छात्रावास प्रबन्धक द्वारा सुविधाओं/सेवाओं का दैनिक आधार पर पर्यवेक्षण किया जायेगा व समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा.</li> </ul>
8	परिसर	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ परिसर की सफाई व्यवस्था अनुबधित संस्था द्वारा प्रतिदिन प्रातः कार्यालय आरंभ होने से पूर्व कर ली जायेगी.</li> <li>➤ विभिन्न भवनों में स्थापित प्रसाधन कक्षों की सफाई प्रतिदिन 3-4 बार अनुबधित संस्था द्वारा की जायेगी.</li> <li>➤ परिसर में छुट-पुट टूट-फूट की मरम्मत तत्काल सुनिश्चित की जायेगी.</li> <li>➤ प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार सुविधा स्वागत कक्ष में उपलब्ध करायी जायेगी.</li> </ul>